भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2401
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024/ 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नए आपराधिक कानून

2401. डॉ. संबित पात्राः
श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तीन नए आपराधिक कानूनों को अधिसूचित और कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो इन कानूनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) क्या महिलाओं के प्रति अपराधों में सख्त कार्रवाई करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या यह कानून अपराध को कम करेगा, जेलों में भीड़भाड़ को रोकगा और विचाराधीन कैदियों की मदद करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): धारा 106 की उप-धारा (2) के सिवाय भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की प्रथम अनुसूची में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) से संबंधित प्रविष्टि के सिवाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 के प्रावधानों को 25 दिसम्बर, 2023 को अधिसूचित किया गया और ये प्रावधान 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गए हैं।

बीएनएस में, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित प्रावधानों को पहली बार एक अध्याय के अंतर्गत शामिल किया गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की कड़ी सजाओं का

प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की महिला के सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन अथवा मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे के नाम पर अथवा पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाने आदि को भी बीएनएस में एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित प्रावधानों सहित इन कानूनों की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक में दी गई हैं।

(ग): जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने और विचारणाधीन कैदियों की सहायता के लिए बीएनएस और बीएनएसएस में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i. बीएनएसएस की धारा 290 में, प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध किया गया है और प्ली बार्गेनिंग में आवेदन, आरोप तय होने की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग के मामले में, यदि आरोपी ने पहली बार अपराध किया है और उसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है, तो न्यायालय बीएनएस की धारा 293 के तहत मामले का एक पारस्परिक संतुष्टिपूर्ण निपटान करते हुए इस प्रकार के अपराध हेतु ऐसे आरोपी व्यक्ति को निर्धारित दंड के एक-चौथाई/छठवें भाग के दंड की सजा दे सकता है।
ii. विचारणाधीन कैदी को कैद में रखने की अधिकतम अवधि का निर्धारण बीएनएसएस की धारा 479 में किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है (जिसे पूर्व में किसी अपराध के लिए कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया है), और यदि उसे उक्त कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्धारित कैद की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई अवधि के लिए कैद में रखा जा चुका है, तो उसे न्यायालय द्वारा बॉन्ड के तहत रिहा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जेल अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करे।
iii. पहली बार, सामुदायिक सेवा को एक सजा के रूप में शामिल किया गया है।

*****

लोक सभा अता. प्रश्न सं. 2401 दिनांक 10.12.2024

अनुलग्नक (पृष्ठ-1)

नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताएं

नागरिक केंद्रित, अधिक सुगम और प्रभावकारी न्याय प्रणाली तैयार करने की दिशा में नए आपराधिक कानून एक महत्वपूर्ण पहल है। नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(क) पीड़ित केंद्रित प्रावधान

i. घटनाओं की रिपोर्ट ऑनलाइन करना: अब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है और इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित हो जाती है, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई हो जाती है।

ii. किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना: जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकता है। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म हो जाती है और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित होता है।

iii. एफआईआर की निःशुल्क प्रति: पीड़ित, एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

iv. गिरफ्तारी के समय सूचना देने का अधिकार: गिरफ्तारी की स्थिति में, व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा।

v. गिरफ्तारी की जानकारी का प्रदर्शन: अब प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिले में आवश्यक रूप से एक नामोदिष्ट पुलिस अधिकारी मौजूद होगा, जिसकी रैंक सहायक पुलिस निरीक्षक से नीचे का नहीं होगी और गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की जानकारी अब प्रत्येक पुलिस स्टेशन में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। यह दोषी व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा करता है और हिरासत में हिंसा की घटनाओं तथा पुलिस द्वारा अवैध नजरबंदी का प्रशमन करता है।

vi. पीड़ितों को प्रगति संबंधी अपडेट: पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति के बारे में अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान पीड़ितों को सूचित रखता है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।

vii. पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति: अभियुक्त और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट/आरोपपत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।

viii. गवाह संरक्षण योजना: नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने, कानूनी कार्यवाही की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गवाह संरक्षण योजना को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया है।

ix. पुलिस स्टेशन जाने से छूट: महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के किशोरों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा दिव्यांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है।

x. यह अनिवार्य किया गया है कि बीएनएसएस की धारा 360 में अभियोजन को वापस लेने से पहले पीड़ित के पक्ष को सुना जाए। पीड़ित के पक्ष को सुने जाने के अधिकार की सांविधिक मान्यता आपराधिक न्याय प्रणाली के न्याय केंद्रित दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मामलों को वापस लेने से संबंधित कार्यवाहियों में पीड़ित के पक्ष को अनिवार्य रूप से सुनने से, न्याय प्रणाली अपराध से सीधे तौर पर पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति अधिक जवाबदेह बन गई है।

(ख) महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान :

i. बीएनएस के नये अध्याय–V में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को अन्य सभी अपराधों से अधिक प्राथमिकता दी गई है।

ii. लिंग भेद किए बिना सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल करते हुए महिलाओं और बच्चों के प्रति विभिन्न अपराधों को बीएनएस में जेंडर-न्यूट्रल बना दिया गया है।

iii. बीएनएस में, सामूहिक बलात्कार के अवयस्क पीड़ितों के लिए उम्र संबंधी अंतर को हटा दिया गया है। इससे पूर्व 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के सामूहिक बलात्कार के लिए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया गया था। इस प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है और अब अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला के सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।

iv. महिलाओं को परिवार के एक वयस्क सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो उस व्यक्ति के स्थान पर समन प्राप्त कर सकती है, जिसे समन भेजा गया है। 'किसी वयस्क पुरुष सदस्य' से संबंधित पूर्ववर्ती संदर्भ को बदलकर 'किसी वयस्क सदस्य' कर दिया गया है।

v. पीड़ित को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के किसी अपराध की जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पीड़ित के बयान को पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा ।

vi. महिलाओं के प्रति कुछ विशेष अपराधों के मामले में, पीड़ित का बयान, जहां तक संभव हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथा उसके अनुपस्थित होने की स्थिति में एक महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके तथा पीड़ितों के लिए सहायक वातावरण बनाया जा सके ।

vii. चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे बलात्कार के किसी पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जांच अधिकारी को सौंपेगें ।

viii. यह प्रावधान किया गया है कि पंद्रह वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष व्यक्ति या किसी महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति अथवा महिला रहती है। उन मामलों में जहां ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए राजी हो, तो उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

ix. नए कानून सभी अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों के स्वास्थ्य और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुँच सुनिश्चित करता है।

(ग) प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक के उपयोग सम्बन्धी प्रावधान :

i. फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी: मामले को मजबूत करने और जांच के लिए, फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और ऐसे अपराध, जिनके लिए 7 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है, के लिए साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी । यह दोहरा दृष्टिकोण जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है तथा न्याय के निष्पक्ष प्रक्रिया में योगदान देता है।

ii. इलेक्ट्रॉनिक समन: अब समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और सभी संबंधित पक्षों के बीच कुशल संचार सुनिश्चित होगा।

iii. सभी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में: सभी कानूनी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करके, नए कानून पीड़ितों, गवाहों और अभियुक्तों को सहूलियत प्रदान करते हैं, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और त्वरित हो जाती है।

(घ) समय सीमा :

i. त्वरित और निष्पक्ष निपटान: नए कानून मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान का भरोसा देते हैं, जिससे विधिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न होता है। प्राथमिक जांच (14 दिन में पूरी की जानी), बाद की जांच (90 दिन में पूरी की जानी), पीड़ित और दोषी को दस्तावेज उपलब्ध कराना (14 दिन के भीतर), विचारण हेतु किसी मामले की प्रतिबद्धता (90 दिन के भीतर), डिस्चार्ज एप्लीकेशन भरना (60 दिन के भीतर), आरोप तय करना (60 दिन के भीतर), निर्णय देना (45 दिन के भीतर) और दया याचिका दायर करना (राज्यपाल के समक्ष 30 दिन में और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन में) जैसे जांच और विचारण के महत्वपूर्ण चरणों को सुव्यवस्थित किया गया है और निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

ii. त्वरित जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होना सुनिश्चित हो सके।

iii. सीमित स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन प्रदान कर सकते हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित हो।

(ङ) सुधारात्मक पहल :

i. सामुदायिक सेवा: नए कानूनों में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है। अपराधियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत सामुदायिक बंधन बनाने का मौका मिलता है।

ii. संक्षिप्त विचारण के दायरे में विस्तार: अधिक अपराधों को शामिल करने के लिए अब संक्षिप्त विचारण के दायरे में विस्तार किया गया है, जिससे मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चत हुआ है।

(च) आरोपी व्यक्ति के अधिकार :

केवल न्यायिक कार्यवाहियों को शुरू करने के लिए व्यक्तियों की मनमानी गिरफ्तारी को सीमित किया गया है। अब केवल पुलिस रिपोर्ट का मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के लिए पुलिस को किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है और हस्तलिखित, हस्ताक्षर, फिंगरप्रिंट अथवा आवाज के नमूने प्रस्तुत करने के लिए गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।

(छ) नए अपराध :

i. आतंकवादी कृत्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, मॉब लिंचिंग, झपटमारी, संगठित अपराध, तुच्छ संगठित अपराध आदि के नए अपराध जोड़े गए हैं।

ii. बार-बार चोरी का अपराध करने वालों के लिए अधिक कड़ी सजा का निर्धारण किया गया है अर्थात 1 वर्ष की अनिवार्य न्यूनतम सजा, जिसे जुर्माने के साथ 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, छोटी-मोटी चोरी को अपराध की दिशा में धकेलने वाला अपराध (गेटवे क्राइम) बनने से रोकने के लिए, पहली बार अपराध करने वालों को केवल सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है, बशर्ते चोरी किए गए सामान का मूल्य 5000 रुपये से कम है और वह मूल्य लौटा दिया गया है अथवा ऐसा सामान वापस कर दिया जाए।

(ज) अनुपस्थिति में विचारण :

उद्घोषित अपराधियों के रूप में घोषित व्यक्तियों के लिए अनुपस्थिति में विचारण का एक नया प्रावधान न्यायालय को आरोपी व्यक्ति की अनुपस्थिति में विचारण संबंधी कार्रवाई करने और निर्णय सुनाने की अनुमति प्रदान करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्याय में ना तो देरी हो और ना ही इससे वंचित रखा जाए ।

******